प्रकाशन हेतु अनुमोदित

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर</u>

<u>रिट याचिका क्रमांक 4123 / 2005</u>

<u>याचिकाकर्ता</u> ऋषि गैसेज (प्राइवेट) लिमिटेड

बनाम

<u>उत्तरवादी</u> राम निवास दीक्षित व अन्य

एवं

रिट याचिका क्र. 4124, 4125, 4126 & 4128 / 2005

आदेश की उद्घोषणा हेतु दिनांक 22 फरवरी 2010 को सूचीबद्ध करें

सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायमूर्ति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 4123/2005

याचिकाकर्ता — ऋषि गैसेज (प्राइवेट) लिमिटेड

बनाम

उत्तरवादीगण — राम निवास दीक्षित व अन्य

एवं

रिट याचिका क्र. 4124, 4125, 4126 & 4128 / 2005

(रिट याचिका अंतर्गत अनुच्छेद 226/227 भारत का संविधान)

एकल पीठ: माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश के. अग्निहोत्री

उपस्थित:- श्री पी. एस. कोशी, अधिवक्ता वास्ते याचिकाकर्ता।

श्री एस. पी. काले, अधिवक्ता वास्ते उत्तरवादी क्र. 1।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश

(दिनांक 22 फरवरी 2010 को उद्घोषित)

1. याचिका क्रमांक 4123/2005, 4124/2005, 4125/2005, 4126/2005 और 4128/2005 विधि के समान प्रश्न और समान तथ्यों पर आधारित हैं, इसलिए सभी याचिकाओं पर एक साथ विचार कर इस समान आदेश द्वारा उनका निराकरण किया जा रहा है।

2. याचिकाकर्ता/नियोक्ता (संक्षेप में "नियोक्ता") औद्योगिक न्यायालय, छत्तीसगढ़, रायपुर द्वारा सिविल अपील क्रमांक 82/एमपीआईआर/ए-11/2001 (ऋषि गैसेज प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य बनाम राम निवास दीक्षित), 83/एमपीआईआर/ए-11/2001 (ऋषि गैसेज प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य बनाम रामजी सिंह चौहान), 84/एमपीआईआर/ए-11/2001 (ऋषि गैसेज प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य बनाम एस. मोहन कुमार), 85/एमपीआईआर/ए-11/2001 (ऋषि गैसेज प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य बनाम घनश्याम साहू) तथा 86/एमपीआईआर/ए-11/2001 (ऋषि गैसेज प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य बनाम के.पी.

सैमुअल), में पारित समान्य आदेश दिनांक 1-8-2005 (सभी रिट याचिकाओं में अनुलग्नक-पी/1) जिसके अधीन नियोक्ता द्वारा प्रस्तुत सिविल अपीलों को खारिज कर दिया गया है और श्रम न्यायालय, बिलासपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 86/एमपीआईआर/97 (राम निवास दीक्षित बनाम ऋषि गैसेस प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य), 82/एमपीआईआर/97 (रामजी सिंह चौहान बनाम ऋषि गैसेस प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य), 85/एमपीआईआर/97 (एस. मोहन कुमार बनाम ऋषि गैसेस प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य), 84/एमपीआईआर/97 (घनश्याम साहू बनाम ऋषि गैसेस प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य} और 80/एमपीआईआर/97 (के. पी. सैमुअल बनाम ऋषि गैसेस प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य) में पारित पृथक-पृथक आदेश दिनांक 26-2-2001 (सभी रिट याचिकाओं में अनुलग्नक-पी/2) को बनाये रखा गया है, जिसमें श्रम न्यायालय ने नियोक्ता को उत्तरवादी क्रमांक 1/कर्मचारियों (संक्षेप में "कर्मचारियों") को पूर्ण बकाया वेतन के साथ सेवा में बहाल करने का निर्देश दिया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. प्रकरण के निराकरण के लिए संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि नियोक्ता की स्थापन की विनिर्माण प्रतिष्ठान तिफरा, बिलासपुर में स्थित है, जिसमें नियोक्ता के स्वामित्व के ट्रकों के चालक के रूप में कर्मचारियों को नियुक्त किया गया था। उक्त ट्रकों का उपयोग नियोक्ता की इकाई में विनिर्मित गैस सिलेंडरों को उसके उपभोक्ताओं के गंतव्य स्थान तथा नियोक्ता की अन्य इकाइयों के विक्रय डिपो तक पहुंचाने के लिए किया जाता था। नियोक्ता के अनुसार, घाटे के कारण नियोक्ता ने अपना परिवहन विभाग बंद कर दिया और अपने स्वामित्व वाले ट्रकों को अन्य व्यक्तियों को बेच दिया तथा यह भी निर्णय लिया कि उसकी इकाई के गैस सिलेंडरों का परिवहन विभिन्न परिवहन ठेकेदारों के माध्यम से संविदा के आधार पर किया जाएगा। परिवहन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की छंटनी से बचाने के लिए, नियोक्ता ने अपनी इकाई के परिसर से नियोक्ता के विक्रय डिपो सहित विभिन्न गंतव्यों तक गैस सिलेंडरों के परिवहन के लिए कार्यरत विभिन्न ठेकेदारों के साथ अपने कर्मचारियों को समायोजित करने का निर्णय लिया। हालांकि, कुछ समय बाद, नियोक्ता ने आदेश दिनांक 3-5-1997 (सभी रिट याचिकाओं में अनुलग्नक पी/3) के द्वारा वर्तमान कर्मचारियों की छंटनी कर दी और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (संक्षेप में "अधिनियम, 1947") के प्रावधानों के अनुसार छंटनी प्रतिकार राशि के भुगतान का भी आदेश कर दिया। कर्मचारियों ने छंटनी प्रतिकर राशि लेने से मना कर दिया और उक्त राशि नियोक्ता को वापस कर दिया।

4. नियोक्ता के अनुसार, कर्मचारियों ने आदेश दिनांक 3-5-1997 से व्यथित होकर उक्त आदेश को श्रम न्यायालय, बिलासपुर के समक्ष चुनौती दी। नोटिस प्राप्त होने के बाद, नियोक्ता ने छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (संक्षेप में "अधिनियम, 1960") के प्रावधानों की प्रयोज्यता के संबंध में प्रारंभिक आपत्ति लेते हुए अपना जवाब प्रस्तुत किया और यह भी निवेदन किया कि कर्मचारियों की सेवाओं में छंटनी करने में नियोक्ता की ओर से की गई कार्रवाई न्यायसंगत और उचित थी। नियोक्ता के पास पिछले 12 महीनों में किसी भी दिन 100 से अधिक कर्मचारी न ही हैं और न ही थे। उक्त प्रकरण में, कर्मचारियों ने सहायक श्रम आयुक्त, बिलासपुर के समक्ष सुलह की कार्यवाही की जो विफल रही और विफलता की रिपोर्ट श्रम मंत्रालय को भेजी गई, जिसने आदेश दिनांक 26-11-1997 (सभी रिट याचिकाओं में अनुलग्नक पी/4) के द्वारा अधिनियम, 1947 के प्रावधानों के अंतर्गत संदर्भ की शर्तें तैयार करके प्रकरण को श्रम न्यायालय, बिलासपुर भेज दिया।

5. इस बीच, कर्मचारियों ने श्रम न्यायालय, बिलासपुर के समक्ष दिनांक 3-5-1997 के छंटनी आदेश को चुनौती दी, जिसे श्रम न्यायालय ने दिनांक 26-2-2001 के पृथक-पृथक आदेशों (सभी रिट याचिकाओं में अनुलग्नक पी/2) द्वारा स्वीकार कर लिया, तथा छंटनी आदेश को अभिखंडित कर दिया और नियोक्ता को निर्देश दिया कि वह कर्मचारियों को पूर्ण बकाया वेतन के साथ सेवा में बहाल करें। उक्त आदेश के विरुद्ध नियोक्ता ने औद्योगिक न्यायालय के समक्ष सिविल अपील प्रस्तुत की, जिसे दिनांक 1-8-2005 के एक समान्य आदेश (सभी रिट याचिकाओं में अनुलग्नक पी/1) के द्वारा श्रम न्यायालय, बिलासपुर द्वारा पारित आदेश को बनाये रखते हुए खारिज कर दिया गया। अतः, वर्तमान रिट याचिकाएँ दायर की गई हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. नियोक्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री कोशी ने प्रस्तुत किया कि अधीनस्थ न्यायालयों ने आदेश दिनांक 3-5-1997 में उठाए गए किसी भी आधार पर ध्यान नहीं दिया है, विशेष रूप से इस तथ्य पर विचार नहीं किया गया कि नियोक्ता छंटनी का सहारा लेने के लिए मजबूर था, क्योंकि नियोक्ता के पास कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था। अधीनस्थ न्यायालयों को अधिनियम, 1960 की धारा 2 (13) के अनुसार 'कर्मचारी' की परिभाषा पर विचार करना चाहिए था, जिसके खंड (बी) के उप-खंड (iv) में प्रावधान है कि 1,600/- रुपये से अधिक वेतन वाले पर्यवेक्षीय क्षमता में कार्यरत व्यक्ति कर्मचारी की परिभाषा की परिधि में नहीं आएंगे। श्री कोशी ने आगे तर्क किया कि नियोक्ता के पास चलाने के लिए कोई ट्रक नहीं है;

इसलिए, बहाली व्यावहारिक रूप से संभव नहीं होगी। कर्मचारियों को पूरा बकाया वेतन का अनुतोष देते समय अधीनस्थ न्यायालयों ने 'काम नहीं तो वेतन नहीं' के स्थापित सिद्धांत को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया है। श्री कोशी ने आगे तर्क किया कि कर्मचारियों को मार्च, 2001 से लेकर आज दिनांक तक अधिनियम, 1960 की धारा 65 (3) के अंतर्गत निहित प्रावधानों के अनुसार अंतिम आहरित वेतन का भुगतान किया जा रहा है। कर्मचारी बिना कोई काम किए अंतिम वेतन का लाभ ले रहे हैं, इसलिए वे आगे किसी भी प्रकार के बकाया वेतन के हकदार नहीं हैं।

7. दूसरी ओर, कर्मचारियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री काले ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान प्रकरण में कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी नहीं हैं और नियोक्ता ने उन्हें दुर्भावनापूर्ण आशय से छंटनी के माध्यम से सेवा से हटा दिया है। नियोक्ता ने अधिनियम, 1947 के प्रावधानों का सही परिप्रेक्ष्य में अनुपालन नहीं किया है। अधिनियम, 1947 के प्रावधानों के अंतर्गत एक भी इकाई/अनुभाग को बंद करने की अनुमति नहीं ली गई थी। अतः, परिवहन विभाग को बंद करना और उसके बाद छंटनी करना अवैध और अनुचित था। अधीनस्थ न्यायालयों ने विधि के अनुसार प्रकरण के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद आक्षेपित आदेश पारित किए हैं, इसलिए, इस न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। नियोक्ता की परिवहन इकाई आज दिनांक को भी चल रही है और इसलिए नियोक्ता का यह तर्क कि उसकी इकाई घाटे में चल रही है, बिल्कुल भी स्थिर रखने योग्य नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. मैंने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है, अभिवचनों और संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया है।

9. पहला प्रश्न, जो इस न्यायालय के विचारार्थ उठता है, वह यह है कि क्या अधिनियम, 1960 के प्रावधान वर्तमान मामले पर लागू होंगे, क्योंकि याचिकाकर्ता के अनुसार, नियोक्ता ने कभी भी, किसी भी समय, अपने स्थापना में 100 या 100 से अधिक कामगारों को काम पर नहीं रखा है। श्रम न्यायालय ने तथ्यों पर विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि नियोक्ता का यह तर्क कि क्रम संख्या 98 से 113 तक के कर्मचारी नियोक्ता के प्रतिष्ठान के कर्मचारी नहीं थे, बल्कि अन्य ट्रांसपोर्टरों के कर्मचारी थे, को खारिज कर दिया गया। नियोक्ता ने क्रम संख्या 98 से 113 तक के कर्मचारी अन्य ट्रांसपोर्टरों के कर्मचारी होने के अपने तर्क के समर्थन में

अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष कोई दस्तावेजी साक्ष्य, जैसे उपस्थिति रजिस्टर, नियुक्ति आदेश आदि प्रस्तुत नहीं किया है। अतः, श्रम न्यायालय का यह निष्कर्ष कि नियोक्ता के प्रतिष्ठान में 100 से अधिक कर्मचारी थे, प्रतिकूल नहीं माना जा सकता। औद्योगिक न्यायालय ने भी अपील में इस निष्कर्ष की पुष्टि की है। इस न्यायालय के समक्ष भी, नियोक्ता द्वारा किए गए तर्क का समर्थन किसी भी दस्तावेज़ से नहीं किया गया है। अतः, श्रम न्यायालय और औद्योगिक न्यायालय के निष्कर्षों के विपरीत निष्कर्ष दर्ज करने का कोई कारण नहीं है, जिन्होंने समवर्ती रूप से अभिनिर्धारित किया है कि नियोक्ता की स्थापना में 100 से अधिक कर्मचारी थे और, इस प्रकार, अधिनियम, 1960 के प्रावधान लागू होंगे।

10. दूसरा प्रश्न, जो इस न्यायालय के विचारार्थ उठता है, वह यह है कि क्या उत्तरवादी क्र. 1/कर्मचारियों की सेवा समाप्ति इस आधार पर वैध थी कि नियोक्ता ने सक्षम प्राधिकारियों के अनुमोदन के बिना परिवहन विभाग को बंद कर दिया है। नियोक्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि नियोक्ता ने अपना पूरा प्रतिष्ठान बंद नहीं किया है, बल्कि प्रतिष्ठान का एक भाग बंद किया है जो आवश्यक हो गया था क्योंकि नियोक्ता के लिए एक अलग परिवहन विभाग चलाना व्यवहार्य नहीं था और वर्तमान कर्मचारियों की छंटनी के बाद, प्रतिष्ठान ने सभी ट्रकों को बेच दिया और वर्तमान में उत्तरवादी क्र. 1/कर्मचारियों को भी कोई काम नहीं दिया गया है और वे बेरोजगार बैठे हैं, क्योंकि नियोक्ता के लिए परिवहन विभाग को फिर से शुरू करना संभव नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. तथ्य यह है कि नियोक्ता ने परिवहन विभाग को बंद कर दिया है और श्रम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के पश्चात, उत्तरवादी क्र. 1/कर्मचारी अधिनियम, 1960 की धारा 65 (3) के अंतर्गत निहित प्रावधानों का लाभ उठा रहे हैं, अर्थात अंतिम आहरित पूर्ण वेतन।

12. नियोक्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, उत्तरवादी क्र. 1/कर्मचारियों को रोजगार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उत्तरवादी क्र. 1/कर्मचारियों की सेवाएं लेने के लिए नियोक्ता के पास कोई ट्रक उपलब्ध नहीं है।

13. प्रकरण की तथ्यात्मक स्थिति में, चूंकि नियोक्ता का परिवहन विभाग बहुत पहले ही बंद हो चुका था, इसलिए न्यायहित में छंटनी के बदले प्रतिकार देना समीचीन और विवेकपूर्ण होगा।

14. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **सीता राम व अन्य बनाम मोती लाल नेहरू किसान प्रशिक्षण संस्थान**[1] में निम्नलिखित निष्कर्ष दिया:

> "21. तथापि, विचारण हेतु हमारे समक्ष यह प्रश्न उठता है कि क्या श्रम न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को सेवा में पुनः बहाल करने का आदेश देना न्यायोचित था।
>
> 22. उत्तरवादी (सिक अपीलार्थीगण) द्वारा सेवाएं प्रदान करने की अवधि को ध्यान में रखते हुए; यह तथ्य कि उत्तरवादी ने मधुमक्खी पालन का कार्य बंद कर दिया था, तथा अपीलार्थीगण की सेवाएं दिसंबर 1996 में समाप्त कर दी गई थीं, हमारे मतानुसार अपीलार्थीगण को सेवा में पुनः बहाल करने का निर्देश देने के लिए यह उपयुक्त मामला नहीं है।
>
> 23. निस्संदेह, औद्योगिक न्यायालय ने पास वैवेकिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया है, लेकिन ऐसे विवेकाधिकार का प्रयोग विवेकपूर्ण रूप से किया जाना चाहिए। इसके लिए प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखना आवश्यक था; नियुक्ति की प्रकृति, नियुक्ति की अवधि, काम की उपलब्धता आदि को ऐसे मामले के निर्धारण के लिए न्यायालय द्वारा संज्ञान लेना चाहिए।
>
> 24. इस न्यायालय ने अनेक निर्णयों में यह राय व्यक्त की है कि इस प्रकृति के मामलों में सेवा में पुनः बहाल करने के निर्देश के स्थान पर पर्याप्त प्रतिकर दिया जाना न्यायहित में होगा। {देखें जयपुर विकास प्राधिकरण बनाम रामसहाई, म.प्र. एडमिन. बनाम त्रिभुवन तथा उत्तरांचल वन विकास कॉर्पोरेशन बनाम एम.सी. जोशी।}
>
> 25. वर्तमान प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हमारे मतानुसार प्रत्येक अपीलकर्ता को 1,00,000/- रुपये की राशि का भुगतान न्याय के हित में होगा। यह अपील उपर्युक्त सीमा तक स्वीकार की

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

[1] (2008) 5 एससीसी 75

जाती है। इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं किया जाएगा।"

15. **जगबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड व अन्य**[2] में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित निष्कर्ष दिया:

"7. यह सत्य है कि इस न्यायालय के पूर्व के अनेक निर्णयों में व्यक्त दृष्टिकोण से यह विधिक स्थिति प्रतिबिंबित होती है कि यदि किसी कर्मचारी की बर्खास्तगी अवैध पाई जाती है, तो सामान्यतः उसे पूर्ण वेतन के साथ पुनः बहाल करने का अनुतोष दिया जाता है। हालाँकि, कुछ समय से विधिक स्थिति में परिवर्तन आया है और कई मामलों में, इस न्यायालय ने लगातार यह निष्कर्ष दिया है कि बकाया वेतन के साथ बहाली का अनुतोष स्वतः नहीं मिलती और किसी परिस्थिति में पूरी तरह से अनुचित भी हो सकती है, भले ही किसी कर्मचारी की बर्खास्तगी निर्धारित प्रक्रिया के उल्लंघन में हो। बहाली के बजाय प्रतिकर राशि देना न्याय के हित में पाया गया है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. सीता राम (पूर्वोक्त) और जगबीर सिंह (पूर्वोक्त) में निर्धारित निर्णयाधार को **अशोक कुमार शर्मा बनाम ओबेरॉय फ्लाइट सर्विसेज**[3] में प्रतिपादित रूप से संदर्भित किया गया था।

17. वर्तमान प्रकरण में, उत्तरवादी क्र. 1/कर्मचारियों को बिना कोई काम किए ही अंतिम वेतन प्राप्त हुआ है क्योंकि उनके पास कोई काम उपलब्ध नहीं था। उत्तरवादी क्र. 1/कर्मचारियों द्वारा प्राप्त भुगतान का विवरण इस प्रकार है:

(क)	राम निवास दीक्षित	2235 x 12 x 10	2,68,200=00
(ख)	रामजी सिंह चौहान	2235 x 12 x 10	2,68,200=00
(ग)	एस. मोहन कुमार	2297 x 12 x 10	2,75,640=00
(घ)	घनश्याम साहू	2155 x 12 x 10	2,58,600=00
(ड.)	के. पी. सैमुएल	2473 x 12 x 10	2,96,760=00

18. ऊपर वर्णित कारणों से, मामले के गुण-दोष पर विचार किए बिना, मेरे मतानुसार, नियोक्ता द्वारा उत्तरवादी क्र. 1/कर्मचारियों को अधिनियम, 1960 की धारा 65 (3) के

[2] जेटी 2009 (9) एससी 396
[3] (2010) 1 एससीसी 142

प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की गई राशि के अतिरिक्त 2,50,000=00 रुपये (केवल दो लाख पचास हजार रुपये) का प्रतिकर, प्रत्येक उत्तरवादी क्र. 1/कर्मचारियों को दिया जाना न्यायोचित होगा।

19. परिणामस्वरूप, रिट याचिकाएँ स्वीकार की जाती हैं। श्रम न्यायालय द्वारा पृथक रूप से पारित आलोच्य आदेश दिनांक 26.02.2001, तथा तत्पश्चात् औद्योगिक न्यायालय द्वारा उत्तरवादी क्र. 1/कर्मचारियों की बहाली एवं बकाया वेतन की पुष्टि के संबंध में पारित समान्य आदेश दिनांक 01.08.2005, अपास्त किए जाते हैं। उत्तरवादी क्र. 1/कर्मचारी अधिनियम, 1960 की धारा 65(3) के प्रावधानों के अंतर्गत पहले से प्राप्त राशि के अतिरिक्त छंटनी के बदले में 2,50,000/- रुपये प्रति कर्मचारी के प्रतिकर राशि के हकदार हैं। भुगतान इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से 8 सप्ताह की अवधि के भीतर किया जाएगा, अन्यथा भुगतान होने तक 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है।

सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायमूर्ति

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated by Smriti Ekka